पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1638
दिनांक-09.09.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-तालकटोरा

- **थाना तालकटोरा पुलिस टीम द्वारा मंदिर में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 अदद सफेद धातु का मुकुट एवं 1,270 रुपये नगद बरामद किए गए।**
- **घटना में प्रयुक्त काली रंग की साइकिल भी पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक **04.09.2026** को वादी श्री मनीष पाण्डेय द्वारा घण्टेश्वर शनिदेव माँ दुर्गा मंदिर, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा में मंदिर परिसर के लोहे के गेट एवं दानपात्र का ताला तोड़कर 5,000/-रुपये चोरी किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तालकटोरा पर **मु0अ0सं0-186/2026 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस** पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शुभम सिंह को सुपुर्द की गई।

दिनांक **09.09.2026** को पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आलमनगर पुल के पास सीमेंट यार्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति की पहचान **रितिक कुमार गौतम पुत्र राजू गौतम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी टिकरा सरोसा भरोसा, थाना पारा, लखनऊ** के रूप में हुई। जामा तलाशी में उसकी जेब से **01 अदद सफेद धातु का मुकुट एवं 1,270 रुपये नगद** बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा मंदिर से दानपात्र के रुपये एवं मूर्ति पर लगा मुकुट चोरी करने की बात बताई गई। बरामद माल चोरी की घटना से संबंधित पाए जाने पर अभियोग में **धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि** करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

02-पूछताछ विवरण एवं माड्यूस आपरेंडी –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त रितिक कुमार गौतम द्वारा बताया गया कि वह **नशा करने का आदी है** तथा नशे के लिए रुपये की आवश्यकता होने पर करीब **04-05 दिन पूर्व रात्रि में अपनी साइकिल से राजाजीपुरम क्षेत्र में चोरी करने की फिराक में घूम रहा था।** इसी दौरान घण्टेश्वर शनिदेव माँ दुर्गा मंदिर में मौका पाकर दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपये तथा मूर्ति पर लगा मुकुट चोरी कर लिया।

अभियुक्त के अनुसार चोरी से उसे करीब **4-5 हजार रुपये** प्राप्त हुए थे, जिसमें से कुछ रुपये उसके द्वारा नशा करने में खर्च कर दिए गए तथा शेष **1,270 रुपये** उसके पास बचे थे। चोरी किया गया मुकुट भी उसके पास था, जिसे वह दिनांक **09.09.2026 को बेचने की फिराक में अपनी साइकिल से आलमनगर पुल के पास सीमेंट यार्ड की ओर जा रहा था।** इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

01-रितिक कुमार गौतम पुत्र राजू गौतम, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी टिकरा सरोसा भरोसा, थाना पारा, लखनऊ।

04- अनावरित अभियोग का विवरण -

01-मु0अ0सं0-186/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।

05- बरामदगी विवरण-

- अदद सफेद धातु का मुकुट
- 1,270 रुपये नगद
- 01 अदद MILTON कम्पनी की काली रंग की साइकिल, घटना में प्रयुक्त

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- **उ0नि0 शुभम सिंह**, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
- **मु0आ0 आनन्द मणि सिंह**, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।
- **का0 घनश्याम यादव**, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1639
दिनांक-09.09.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- बंथरा, हुसैनगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

01- संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0सं0	थाना	नामपता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1	**बंथरा**	अमर उर्फ़ अमन गौतम उम्र- करीब 24 वर्ष पुत्र कल्लू गौतम निवासी- ग्राम बंथरा सिकंदरपुर थाना-बंथरा,लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)
2	**हुसैनगंज**	युसूफ उम्र- करीब 25 वर्ष पुत्र मो0 सलीम निवासी-रामलीला मैदान पुराना किला ,थाना-हुसैनगंज,लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1639
दिनांक-09.09.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- बंथरा, हुसैनगंज के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

01- संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0सं0	थाना	नामपता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1	**बंथरा**	अमर उर्फ़ अमन गौतम उम्र- करीब 24 वर्ष पुत्र कल्लू गौतम निवासी- ग्राम बंथरा सिकंदरपुर थाना-बंथरा,लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)
2	**हुसैनगंज**	युसूफ उम्र- करीब 25 वर्ष पुत्र मो0 सलीम निवासी-रामलीला मैदान पुराना किला ,थाना-हुसैनगंज,लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1637
दिनांक-09.09.2026

क्राइम ब्रांच

चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास सक्रिय अंतरराज्यीय चोर/जेबकतरा गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही।

क्राइम ब्रांच की SOG टीम की त्वरित कार्रवाई में गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार ₹1,24,700 नगद एवं वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यो में वारदातों के साक्ष्य

01- कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री तरुण गाबा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, के निर्देशानुसार संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय श्रीमती अपर्णा कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व क्रिमिनल गैंग की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त अपराध लखनऊ महोदय श्री अनिल यादव, श्रीमान पुलिस अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमती किरन यादव तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के कुशल नेतृत्व में ***दिल्ली-महाराष्ट्र-उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चोरी की वारदातों*** मे शामिल ***अंतरराज्यीय चोर/जेबकतरा गिरोह*** के 05 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2026 को लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक अंतरराज्यीय चोर/जेबकतरा गिरोह चारबाग रेलवे स्टेशन एवं उसके आसपास सक्रिय है तथा यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी एवं जेबकटी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की SOG टीम को तत्काल सक्रिय किया गया। टीम द्वारा सूचना को विकसित करते हुए गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई तथा प्रभावी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित ₹1,24,700 नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी संख्या UP32 JV 8656 बरामद की गई।

03- लखनऊ की तीन चोरी की घटनाओं से जुड़ी बरामदगी-

बरामद धनराशि की जांच में इसका संबंध लखनऊ के निम्न मुकदमों से पाया गया—

1. थाना सैरपुर — मु0अ0सं0 431/2026, धारा 303(2) बीएनएस
2. थाना दुबग्गा — मु0अ0सं0 197/2026, धारा 303(2) बीएनएस
3. थाना जानकीपुरम — मु0अ0सं0 141/2026, धारा 303(2) बीएनएस।

अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संबंधित चोरी की रकम बरामद होने तथा सामान्य आशय एवं बार-बार अपराध कारित करने के तथ्य प्रकाश में आने पर संबंधित मुकदमों में धारा 3(5)/317(2)/317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.09.2026 को समय करीब 23.56 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया।

04.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

जांच में सामने आया कि अभियुक्त एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह के रूप में अलग-अलग राज्यो के शहरों में घूमकर चोरी एवं जेबकटी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस गिरोह की खास बात यह है कि यह गिरोह दिन में चोरी की घटनाओ को अंजाम देता था

इनका एक खास तरीका यह था कि ये प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेलवे स्टेशन में वैध रूप से प्रवेश करते थे, ताकि इन पर किसी को संदेह न हो। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह चोरी की वारदातों से कभी-कभी करीब ₹20 लाख तक प्रतिमाह कमा लेता था। चोरी की रकम से ये लोग महंगे मकानों में रहते थे और शहर बदलने के लिए हवाई यात्रा तक करते थे।

1. रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में जेबकटी:

अभियुक्त रेलवे स्टेशन के आसपास तथा ट्रेनों के जनरल डिब्बों में सहयात्री बनकर यात्रियों के बीच बैठ जाते थे। मौका पाकर भीड़ एवं यात्रियों का ध्यान भटकाते हुए उनकी जेब से रुपये एवं कीमती सामान निकाल लेते थे।

2. ऑटो एवं ई-रिक्शा में चोरी:

गिरोह के सदस्य आम यात्रियों की तरह ऑटो एवं ई-रिक्शा में सवार हो जाते थे और भीड़ अथवा ध्यान भटकने का फायदा उठाकर सहयात्रियों की जेब साफ कर देते थे।

3. लगातार शहर बदलना:

पुलिस की पकड़ से बचने एवं अपराध को छिपाने के लिए गिरोह लगातार अलग-अलग शहरों में अपनी लोकेशन बदलता रहता था।

4. वाहन का इस्तेमाल:

चोरी की वारदातों को अंजाम देने एवं मौके से निकलने के लिए गिरोह द्वारा स्कूटी संख्या UP32 JV 8656 का इस्तेमाल किया जाता था।

5. चोरी की रकम से ऐशो-आराम:

अभियुक्त चोरी की रकम से महंगे किराये के मकानों में रहते थे तथा एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे।

6. कई राज्यों में सक्रिय नेटवर्क:

अब तक की जांच में गिरोह की गतिविधियों की पुष्टि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक एवं अहमदनगर तथा दिल्ली में भी हुई है।

7. अंतरराज्यीय संगठित गिरोह:

गिरोह के सदस्य अलग-अलग राज्यों एवं जनपदों के रहने वाले हैं, जो संगठित होकर विभिन्न शहरों में घूम-घूमकर जेबकटी एवं चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

05. गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. संदीप सुधाकर तिजोरे पुत्र स्व0 सुधाकर तिजोरे निवासी पीपलगांव थाना पथर्डी तालुका जनपद अहमदनगर(अहिल्यानगर) महाराष्ट्र उम्र लगभग 35 वर्ष (गिरोह का मुख्य सरगना) शिक्षा – 6 वीं पास)
2. अरविन्द गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी ग्राम भरुआ पोस्ट सरवट थाना घोरावल जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 35 वर्ष (व्यवसाय –रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने का काम)
3. कुनाल विलास सिरसाठ पुत्र विलास सिरसाठ निवासी पीपलगांव बसवन्त थाना लासनगांव जनपद नासिक महाराष्ट्र उम्र लगभग 24 वर्ष (व्यवसाय –ट्रेन के अन्दर गुटखा बेचने का काम)
4. जावेद अख्तर पुत्र शम्सुद्दीन निवासी तिलकनगर सेंटा क्रूज ब्रिज के बगल झोपड़पट्टी थाना तिलकनगर कुर्ला, चेम्बूर मुम्बई उम्र लगभग 25 वर्ष (मुख्य सहयोगी- गिरोह में अन्य लोगो को जोड़ने का काम)
5. सोनू पुत्र जगदीश जायसवाल निवासी बेलवा बनघुसरा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा उम्र 30 वर्ष (व्यवसाय –ईयर फोन की फेरी)

06-बरामदगी का विवरण:-

- 1,24,700 रुपये
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी वाहन संख्या UP32 JV 8656

07.अभियुक्त संदीप सुधाकर तिजोरे पुत्र स्व0 सुधाकर तिजोरे

1. 08/2009 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
2. 45/2012 u/s 379/411 ipc Mankhurd / Rly Mumbai.
3. 41/2013 u/s 379/411 ipc wadala / Rly Mumbai.
4. 44/2013 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
5. 74/2013 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
6. 36/2014 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
7. 98/2014 u/s 379/411 ipc Nashik Road / Rly.
8. 156/2014 u/s 379/411 ipc Wadala / Rly Mumbai.
9. 06/2015 u/s 379/411 ipc Thane / Rly Mumbai.
10. 358/2015 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
11. 395/2015 u/s 379/411 ipc Kurla / Rly Mumbai.
12. 02/2021 u/s 379/411 ipc New Delhi Rly Stn.

08-अभियुक्त जावेद अख्तर पुत्र शम्सुद्दीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1 . ACR NO.321/2025 us 303(2) bns Rly Mumbai .

09-महाराष्ट्र व दिल्ली पुलिस से समन्वय

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रीमती किरन यादव (IPS) के द्वारा बताया गया कि मुख्य सरगना संदीप सुधाकर तिजोरे के महाराष्ट्र में पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर अभियुक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई है, ताकि महाराष्ट्र में उसके द्वारा पूर्व में की गई चोरी की अन्य घटनाओं एवं उनसे जुड़े मामलों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अभियुक्त के विरुद्ध मुंबई के विभिन्न रेलवे थाना क्षेत्रों में वर्ष 2009 से चोरी के कई मुकदमे प्रकाश में आए हैं।

10-पीड़ितों से अपील –

महाराष्ट्र दिल्ली एवं अन्य राज्यों में जिन पीड़ितों के साथ रेल यात्रा के दौरान चोरी/जेबकटी की घटनाएं हुई हैं, वे संबंधित थाना/पुलिस स्टेशन से संपर्क कर अपनी घटना की जानकारी दे सकते हैं। यदि जांच में उनकी चोरी की रकम/संपत्ति इस गिरोह से संबंधित पाई जाती है, तो नियमानुसार बरामद धनराशि/संपत्ति की वापसी की कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ पुलिस द्वारा गिरोह से जुड़े अन्य मामलों एवं संभावित पीड़ितों की पहचान के लिए भी जांच जारी है तथा संबंधित राज्यों की पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

11-मकान मालिकों से अपील

लखनऊ पुलिस द्वारा सभी मकान मालिकों एवं प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को मकान/कमरा किराये पर देने से पूर्व उसका विधिवत पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं।

किरायेदार की पहचान, स्थायी पता, मोबाइल नंबर एवं अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त कर उनका सत्यापन सुनिश्चित करें। बिना सत्यापन के कमरा किराये पर देने से अपराधियों को शहर में छिपने एवं आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने का अवसर मिल सकता है।

12- विधिक कार्रवाई –

अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया गया।

13.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

☞ क्राइम ब्रांच व थाना मडियांव पुलिस टीम लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1636

दिनांक- 09.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाला 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसन्थ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक-09.09.2025 को विपक्षीगणों द्वारा वादिनी को भूमि का बैनामा कराने के नाम से धोखे से रूपये ले लेने, भूमि का बैनामा न करने, रूपये मांगने पर गाली गलौज करते हुये जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती गुड्डी पत्नी स्व0 दयाशंकर निवासी वृन्दावन योजना थाना पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 405/2025 धारा 316(2)/351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया है।

घटना मे वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल एव मैनुएल साक्ष्यो के आधार पर एवं संपर्क सूत्र के माध्यम से वांछित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

दिनांक-06.04.2026 को अभियुक्त सालिक राम पुत्र स्व0 गंगादीन निवासी ग्राम अहमदपुर आजमअली थाना नगराम लखनऊ व दिनांक 12.07.2026 को संगीता देवी पत्नी सालिक राम निवासी ग्राम अहमदपुर आजमअली थाना नगराम लखनऊ को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा चुका है।

03- अभियुक्त का विवरणः-

01-सुनील कुमार पुत्र श्याम निवासी हसनपुर थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-405/2025,धारा-318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1641
दिनांक-09.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 देसी रिवाल्वर 32 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।**
- **अभियुक्त के कब्जे में मिली काली मारुति फ्रोंज कार की तलाशी में 01 देसी तमंचा 315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2026 को उ0नि0 श्री सौरव सिंह मय पुलिस बल के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, अपराध की रोकथाम एवं शांति व्यवस्था हेतु टेढ़ीपुलिया चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खोया मण्डी वाली गली में काले रंग की मारुति गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, जिसके पास अवैध तमंचा है तथा वह कहीं जाने की फिराक में है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति द्वारा वाहन स्टार्ट कर मौके से भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम **मो0 सलमान पुत्र मो0 जमील, निवासी आदिल नगर, साही क्लीनिक के पास, एम0डी0 प्लेस के पीछे मैदान में झुग्गी-झोपड़ी, थाना गुडम्बा, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष** बताया।

अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान उसकी कमर में नीले रंग की जीन्स के अंदर छिपाकर रखा **01 अदद देसी रिवाल्वर 32 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर** बरामद हुआ। इसके पश्चात अभियुक्त के कब्जे में मिली काली मारुति फ्रोंज गाड़ी संख्या **UP 32 SA 9322** की तलाशी लेने पर उसके ग्लव बॉक्स से **01 अदद देसी तमंचा 315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद हुआ।

अभियुक्त से बरामद अवैध शस्त्र एवं कारतूस के संबंध में वैध लाइसेंस/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। बरामद अवैध शस्त्र एवं कारतूस को नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर अलग-अलग सफेद कपड़े में रखकर सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही की मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।

अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 09.09.2026 को समय करीब **00:20 बजे**, खोया मण्डी वाली गली, वहद चौकी टेढ़ीपुलिया, थाना गुडम्बा, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

बरामद अवैध शस्त्र, कारतूस एवं वाहन को नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर थाना गुडम्बा लाया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0-353/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ का विवरण

अभियुक्त मो0 सलमान द्वारा पूछताछ के दौरान अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी न देते हुए अपनी सफाई अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बताया गया।

03-पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-353/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. **मु0अ0सं0-32/2023**, धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं धारा 307/323/34/504/506 भादवि0, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. **मु0अ0सं0-860/2018**, धारा 323/504/506 भादवि0, थाना मड़ियांव, लखनऊ।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-मो0 सलमान पुत्र मो0 जमील, निवासी आदिल नगर, साही क्लीनिक के पास, एम0डी0 प्लेस के पीछे मैदान में झुग्गी-झोपड़ी, थाना गुडम्बा, लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।

06-बरामदगी

- 01 अदद देसी रिवाल्वर 32 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
- 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद काली मारुति फ्रोंज गाड़ी संख्या UP 32 SA 9322

07-गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री अंजनी कुमार मिश्र, SHO थाना गुडम्बा
2. उ0नि0 श्री सौरव सिंह
3. उ0नि0 श्री दान बहादुर राय
4. हे0का0 कृष्ण चौधरी
5. का0 सन्तोष कुमार
6. का0 रावेन्द्र पाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1640
दिनांक-09.09.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी

- **थाना बीकेटी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में नामित/वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक **20.08.2026** को वादी श्री जयराम पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद, निवासी पारपुरवा, थाना रेउसा, जनपद सीतापुर द्वारा थाना बीकेटी पर तहरीर दी गई कि उनकी बहन बट्टू का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व सतीश गौतम उर्फ भूरे पुत्र रामचन्दर, निवासी कोटवा, थाना बीकेटी, लखनऊ के साथ हुआ था। तहरीर में आरोप लगाया गया कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजनों द्वारा उनकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना बीकेटी पर **मु0अ0सं0-327/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट** पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त, बीकेटी द्वारा संपादित की जा रही है।

आज दिनांक **09.09.2026** को मुकदमे में नामित/वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्ता **रानी पत्नी स्व0 रामचन्दर**, निवासी ग्राम कोटवा, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ, अपने घर पर मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्ता को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए **आज दिनांक 09.09.2026 को समय करीब 13:30 बजे** नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सतीश गौतम को दिनांक 22.08.2026 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चूका है।

02-अभियुक्ता से पूछताछ का विवरण

अभियुक्ता द्वारा पूछताछ के दौरान अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगना बताया गया।

03-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0-327/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना बीकेटी, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम, पता एवं व्यवसाय

01-रानी पत्नी स्व0 रामचन्दर, निवासी ग्राम कोटवा, थाना बीकेटी, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 50 वर्ष। व्यवसाय- गृहिणी।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. **उ0नि0 मनोज कुमार**, थाना बीकेटी, लखनऊ।
2. **का0 अम्ब्रीष सिंह**, थाना बीकेटी, लखनऊ।
3. **म0का0 नीलू भार्गव**, थाना बीकेटी, लखनऊ।